मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक**I/708920/2026** भोपाल, दिनांक **01-01-2026**

प्रति,

1. समस्त, जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यंगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

विषय:- प्रदेश में नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्रदाय किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

-00-

कृपया विषयान्तर्गत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रदेश में नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत अशासकीय संस्थाओं को नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार, नुक्कड नाटको के माध्यम से नशे के प्रति युवाओं, छात्र-छात्राओं तथा समाज में जनजागरूकता लाने हेतु संस्थाओं को विभाग से विभागीय मान्यता प्रदाय किये जाने हेतु आपके जिले अंतर्गत नशे के प्रति जनजागरूता लाने के लिये कार्यरत बिना विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के क्रम में विभागीय मान्यता नियम-**2017** के बिन्दु क्रमांक-**6** मान्यता के मापदण्ड-**6.4** में नशामुक्ति केन्द्र संचालन के लिए नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत पंजीवद्ध होना आवश्यक किया गया है। जो अशासकीय संस्थाये नशामुक्ति केन्द्र का संचालन कर नशा पीडित व्यक्तियों का उपचार कर रही है, उन्हें नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीवद्ध होना आवश्यक किया गया है। ऐसी संस्थाए जो नशे के प्रति जनजागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार-प्रसार कर रही है, उन्हें नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीवद्ध होना आवश्यक नहीं है।

अत: आपके जिले अंतर्गत विभागीय मान्यता प्राप्त किये बिना नशे के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए कार्यरत ऐसी संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्रदाय किये जाने हेतु संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त कर शीघ्र संचालनालय को उपलब्ध करायें ताकि संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्रदाय करने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(अंकिता धाकरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण

File No. DSJDW/14/0036/2025-SD-DSJDW (Computer No. 437000)
Generated from eOffice by RAJU BARMAN, AG3(RB)-SD, ASSISTANT GRADE 3, DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE on 11/01/2026 10:41 am

पृ.क्रमांक **I/708920/2026** भोपाल, दिनांक **01-01-2026**

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाध विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नं.**3** भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3. पी.आर.ओ., माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।

3. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण